समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

टीवी अभिनेता रोहित चंदेल POCSO केस मे गिरफ्तार, 16 वर्षीय किशोरी का पीछा करने और उत्पीड़न का आरोप

Sanket Morankar Published on 11 Jul 2026

टेलीविजन अभिनेता **रोहित चंदेल** को मुंबई पुलिस ने **16 वर्षीय किशोरी का कथित रूप से पीछा करने, बार-बार फोन कर परेशान करने और मारपीट करने** के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ **प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेसेज़ (POCSO) Act** तथा **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

29 वर्षीय रोहित चंदेल टीवी धारावाहिक '**काशीबाई बाजीराव बल्लाल**' और '**पांड्या स्टोर**' जैसे लोकप्रिय शो में अभिनय कर चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें **न्यायिक हिरासत** में भेज दिया गया।

किशोरी ने लगाए गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता किशोरी और अभिनेता एक-दूसरे को पहले से जानते थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रोहित चंदेल लगातार अपने निजी मोबाइल नंबर से फोन करते थे। जब किशोरी ने कॉल उठाना बंद कर दिया, तो उन्होंने कथित रूप से **अन्य नंबरों से भी बार-बार संपर्क कर परेशान करना शुरू कर दिया।**

घर के बाहर पीछा करने और मारपीट का आरोप

पुलिस के मुताबिक, **5 जुलाई** को अभिनेता कथित रूप से किशोरी के घर के पास पहुंचे, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने किशोरी पर चिल्लाया, उसका पीछा किया और उसके साथ मारपीट भी की।

घटना के बाद पीड़िता ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

CCTV फुटेज और बयान के आधार पर जांच

मुंबई पुलिस ने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे **सीसीटीवी कैमरों की फुटेज** जुटाई जा रही है। साथ ही पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके आधार पर मामले की आगे की जांच की जाएगी।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी पर लगे आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही होगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.